राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड
29वीं बैठक - दिनांक : 30 जून, 2009 का कार्य वृत्त

उत्तराखंड में कार्यरत समस्त बैंकों द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मार्च, 2009 तक की गई प्रगति की समीक्षा हेतु राज्य के मुख्य मंत्री माननीय डा. रमेश पोखरियाल ''निशंक'' की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 29वीं बैठक होटल मधुबन, देहरादून में दिनांक 30 जून, 2009 को आयोजित की गई। बैठक का उद्घाटन माननीय मुख्य मंत्री महोदय तथा उपस्थित वरिष्ठ अतिथियों के करकमलों से दीप प्रज्जवलित कर सम्पन्न किया गया।

इस बैठक में वरिष्ठ अतिथि श्री इंदु कुमार पाण्डे, मुख्य सचिव, श्री एन. एस. नपलच्याल, अपर मुख्य सचिव, श्री गौतम कांजीलाल, मुख्य महाप्रबंधक, श्री देव प्रसाद मजुमदार, महाप्रबंधक, दिल्ली मण्डल, भारतीय स्टेट बैंक एवं श्री मनोज शर्मा, महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों तथा वाणिज्यिक / ग्रामीण / सहकारी / निजी बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं / निगमों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया।

<u>श्री गौतम कांजीलाल, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक का संबोधन -</u>

वरिष्ठ अतिथियों एवं सभी प्रतिभागियों के अभिनन्दन के पश्चात श्री गौतमकांजी लाल ने सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत करते हुए प्रदेश में कार्यरत समस्त बैंकों द्वारा राज्य के विकास में योगदान एवं राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों द्वारा दी गई सहायता हेतु विशेष आभार प्रकट किया। उन्होने इस क्रम में चलाई जा रही विभिन्न ऋण योजनाओं में बैंकों द्वारा मार्च, 2009 तक की गई प्रगति के समेकित आँकड़ों के विषय में सदन को संक्षिप्त जानकारी प्रदान कराई।

श्री कांजीलाल द्वारा अवगत कराया गया कि **ऋण-जमा अनुपात** जो कि दिसम्बर, 2008 में 35.07 प्रतिशत था वह बढ़कर मार्च, 2009 में 38.42 प्रतिशत हो गया । हाँलाकि ऋण-जमा अनुपात मार्च, 2008 के सापेक्ष कम है इसका विशेष कारण यह है कि इस वर्ष जमा राशि में अनपेक्षित वृद्धि दर्ज हुई है। **वार्षिक ऋण योजना** के अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य रु.4428 करोड़ के सापेक्ष में सभी बैंकों ने मिलकर रु. 3762 करोड़ की वृद्धि की है जोकि लक्ष्य का लगभग 85 प्रतिशत है। भारतीय स्टेट बैंक ने वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत लगभग 100 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति की है। इसी संदर्भ में जिन बैंकों में वार्षिक ऋण योजना की उपलब्धी लक्ष्य से अत्यंत कम रही है उन बैंकों से उन्होने निवेदन किया कि इस विषय में जाँच कर उपयुक्त उपाय करें। उन्होने प्रस्ताव किया कि गतवर्ष बैंक स्तर पर वार्षिक ऋण योजना में मात्र 85 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जा सका। अतः गतवर्ष लक्ष्य प्राप्ति में जो 15 प्रतिशत की कमी

रह गई है उसे वर्ष 2009-120 की वार्षिक ऋण योजना में जोड़ दिया जाए। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत कर लिया गया । इस पर मुख्य सचिव एवं अपर मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा हर्ष व्यक्त किया गया। **किसान क्रेडिट कार्ड** के विषय में उन्होने सदन को सहर्ष अवगत कराया कि वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष में 141 प्रतिशत की प्राप्ति की गई है।

वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना में वार्षिक लक्ष्य 660 के सापेक्ष में बैंकों द्वारा 809 आवेदन पत्र प्राप्त किए गए जिसमें 609 आवेदकों को लगभग रु. 48 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए गए। उन्होने इस योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा 200 आवेदन पत्र वापस करने के कारण संबंधित अधिकारियों से आग्रह किया कि ऋण आवेदन पत्र की पूर्ण जाँच योजना के नियमानुसार कर बैंकों को भेजे जाएं ताकि बैंक द्वारा आवेदन पत्रों के निरस्तीकरण की दर में कमी दर्ज हो सके। उन्होने **सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाओं** में बैंकों द्वारा लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति पर संतोष प्रकट किया एवं राज्य में **वसूली दर** अच्छी होने के कारण प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि इससे बैंकों को काफी राहत मिली है।

अंत में उन्होने बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों का धन्यवाद करते हुए अपना संबोधन पूर्ण किया।

<u>श्री मनोज शर्मा, महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक का संबोधन -</u>

श्री शर्मा ने मुख्य अतिथि तथा अन्य गणमान्य अतिथियों सहित बैंठक में उपस्थिति समस्त सहभागियों का स्वागत करते हुए सभा को अवगत कराया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित **उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न समिति,** जो कि **लीड बैंक योजना** में लाए जाने वाले बदलाव पर कार्य कर रही थी, ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं जिसके अनुसार राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों में **समर्पित वित्तीय साक्षारता विभाग** का गठन किया जाए जो कि बैंकिंग तथा वित्त क्षेत्र में विभिन्न विषयों पर सार्वजनिक अभियान चलाएगा। साथ ही उन्होने अवगत कराया कि प्रत्येक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की अपनी **एक वेबसाइट** होनी चाहिए जिस पर अग्रणी बैंक योजनाओं से संबंधित तथा भारतीय रिजर्व बैंक के सभी निर्देश तथा सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं से संबंधित निर्देश सार्वजनिक लाभ हेतु स्पष्ट रुप में उपलब्ध हों। इस वेबसाइट का उपयोग वित्तीय शिक्षा के लिए भी होना चाहिए तथा इस पर सभी बैंकों की विभिन्न योजनाएं एवं उत्पाद प्रदर्शित होने चाहिएं। इस वेबसाइट को नियमति अंतराल पर अद्यतन किया जाना चाहिए।

उन्होने आगे सदन को अवगत कराया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के सदस्यों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए यह उचित होगा कि और अधिक उप-समितियों का गठन किया जाए ताकि प्रत्येक मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हो सके। राज्य में एक्सपोर्ट प्रोमोशन कमेटी में निर्यातकों की समस्यों पर विचार-विमर्श कर उनकी समस्यों का समाधान किया जाना चाहिए।

अंत में सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए अपना संबोधन समाप्त किया।

श्री शर्मा के संबोधन के उपरांत राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड के मार्च, 2009 तक के त्रैमासिक आँकड़े तथा आई. बी.ए.के आर्थिक पैकेज के मई, 2009 तक हुई प्रगति के आँकड़ों का प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा की गई।

इस प्रस्तुतीकरण के दौरान मुख्य सचिव द्वारा टिहरी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग एवं अल्मोड़ा इत्यादि जिलों में प्रदर्शित कम ऋण-जमा अनुपात पर असंतोष प्रकट किया तथा संबंधित अग्रणी जिला प्रबंधकों को निर्देशित किया कि वे स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क कर इस विषय में योजनाबद्ध एवं समयबद्ध आवश्यक कार्रवाई करें ताकि इन जिलों में ऋण-जमा अनुपात में वृद्धि हो सके।

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने कहा कि **कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना वर्ष 2008** के अंतर्गत जिन किसानों के ऋण माफी हुए हैं उन सभी को नए ऋण नहीं दिए जा रहे हैं। जो कि भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत सरकार के निर्देशों का सीधा उल्लंघन है। उन्होने सभी बैंकों से आग्रह किया कि उपरोक्त योजना के अंतर्गत बचे हुए सभी किसानों को तुरंत कृषि ऋण उपलब्ध कराए जाएं। इससे इन जिलों में ऋण-जमा अनुपात में वृद्धि होगी।

अपर मुख्य सचिव ने उनकी अध्यक्षता में दिनांक 17 जून, 2009 को आयोजित समाज कल्याण बैंकर्स स्थाई समिति की बैठक में सभी जिलों में **आरसेटी (RSETI)** प्रारम्भ करने से संबंधित पारित निर्देशों पर बैंकों को शीघ्र कार्रवाई करने को कहा।

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि **किसान क्रेडिट कार्ड** शीघ्र जारी करने हेतु विशेष ध्यान देने की आवश्यकयता है। उन्होने वर्ष 2009-2010 के दौरान सभी पात्र कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाने हेतु आग्रह किया। उन्होने कहा कि भारत सरकार की ऋण राहत योजना के अंतर्गत पात्र सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाने चाहिएं। उन्होने **ग्रामीण आवास योजना** के अंतर्गत एकल तथा स्वयं सहायता समूहों को भी प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर जोर दिया तथा **जैविक खेती, बागवानी के अंतर्गत फूड प्रोसेसिंग एंव पैकिंग, मशरुम उत्पादन एवं मुर्गी पालन** पर विशेष ध्यान देने को निर्देशित किया। उन्होने सामूहिक कार्य प्रणाली पर विशेष बल दिया। उन्होने निदेशक, हार्टिकल्चर को इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई एवं अनुश्रवण करने को कहा। मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने सुझाव दिया कि राज्य में कृषकों की संख्या को देखते हुए किसानक्रेडिट कार्ड हेतु निर्धारित 50 हजार का लक्ष्य कम है इसे दोगुना कर 1 लाख कर दिया जाना चाहिए। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत कर लिया गया।

इसी संबंध में निदेशक, हार्टिकल्चर ने सदन को अवगत कराया कि राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय सम्भाव्यता का पूर्ण रुप से उपयोग नहीं हो रहा है क्योंकि उत्पाद बाजार तक पहुँचाने हेतु बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं है। उन्होने आगे अवगत कराया कि राज्य के

सभी जिलों में एक-सा अनुदान उलब्ध कराया जा रहा है जिसके कारण दूरस्थ क्षेत्रों में समग्र प्रगति नहीं हो रही है। उन्होने खण्डवार अनुदान उपलब्ध करवाने का उपाय सुझाया ताकि दूरस्थ क्षेत्रों की प्रगति सुनिश्चित हो सके।

अपर निदेशक, उद्योग ने सदन को अवगत कराया कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों हेतु **घोषित विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008** के अंतर्गत बागवानी इकाइयाँ, पॉली हाऊसेज, स्वयं सहायता समूह इत्यादि भी अनुदान / प्रोत्साहन सुविधाओं के लिए पात्र हैं। साथ ही उन्होने सदन को यह भी अवगत कराया कि यह अनुदान / प्रोत्साहन वर्तमान योजनाओं में प्राप्त अनुदान / प्रोत्साहन के अतिरिक्त हैं। उन्होने सभी सहभागियों से आग्रह किया कि राज्य में अधिक उद्योग स्थापित करने हेतु उद्योग विभाग की सहायता करें।

मुख्य सचिव ने इस संबंध में कहा कि बैंक पिछले 9 वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक के **ऋण-जमा राशि के मानक** को अभी तक प्राप्त नहीं कर सके हैं। उन्होने इस दिशा में हर प्रकार की कमियों (deficiencies) को चिन्हित कर उन्हे दूर करने की आवश्यकता पर जोर दिया तथा निर्देशित किया कि शासन एवं अग्रणी जिला अधिकारी मिलकर ब्लाक / जिला स्तर पर स्थानीय सम्भाव्यता (पोटेंशियल) का पूर्ण उपयोग करने हेतु जिला स्तर पर नियमित विचार-विमर्श कर उपयुक्त ऋण योजनाओं हेतु सिफारिशें प्रस्तुत करें ताकि उन पर समुचित कार्यवाही की जा सके।

अपर मुख्य सचिव ने निर्देशित किया कि वर्ष 2008-09 की वार्षिक ऋण योजना की उपलब्धियों में 15 प्रतिशत की कमी को इस वर्ष की वार्षिक ऋण योजना में जोड़ दिया जाए ताकि पिछले वर्ष का शेष लक्ष्य इस वर्ष के लक्ष्य के साथ-साथ प्राप्त किया जा सके। इस पर मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने इस वर्ष के लक्ष्य का 50 प्रतिशत तथा पिछले वर्ष का शेष लक्ष्य माह दिसम्बर, 2009 तक अनिवार्य रुप से समस्त बैंकों द्वारा प्राप्त करने का आह्वान किया जिस पर समस्त बैंकों ने सहमति प्रकट की।

अपर मुख्य सचिव ने अग्रणी जिला प्रबंधकों को निर्देशित किया कि वसूली प्रमाण पत्रों की स्थिति हर माह जिला कलेक्टर को प्रस्तुत की जाए ताकि उन पर समयानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

साथ ही उन्होने सदन को अवगत कराया कि **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी** (NREGA) योजनातंर्गत सभी कार्डधारकों के खाते बैंकों द्वारा खोले जाने हैं ताकि कार्डधारकों की मजदूरी राशि उनके खातों में यथासमय जमा हो सके। उन्होने सदन को अवगत कराया कि

लगभग 8 लाख कार्डधारकों में से 6 लाख 50 हजार कार्डधारकों के खाते खुले जा चुके हैं तथा शेष कार्डधारकों के खाते तुरंत खोलने हेतु बैंकों को निर्देशित किया।

माननीय मुख्य मंत्री का संबोधन -

माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उपस्थिति प्रतिभागियों का स्वागत एवं अपनी शुभ कामनाएं प्रदान करते हुए पिछली बैठक में लिए गए **निर्णयों की समीक्षा** करने पर विशेष जोर दिया। उन्होने राज्य के गिरते हुए **ऋण-जमा अनुपात** पर गहरी चिंता व्यक्त की तथा ऋण-जमा अनुपात में सुधार लाने के लिए ठोस कार्य करने हेतु निर्देशित किया। साथ ही उन्होने राज्य में लागू **औद्योगिक पैकेज** के अंतर्गत हुई प्रगति की जानकारी मांगी। उन्होने यह चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रीय बागवान बोर्ड की योजनाओं का समुचित उपयोग नहीं हो रहा है। राज्य में युवाओं एवं प्राकृतिक संसाधनों का संयोजन इन योजनाओं में अधिक से अधिक होना चाहिए। उन्होने कहा कि इस संदर्भ में योजना नियोजकों द्वारा राज्य के युवकों को रोजगार दिलाने हेतु तथा **युवाओं के पालयन रोकने** में बैकों के साथ मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। उन्होने कहा कि स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के अनुरुप बैंक एवं राज्य सरकार के अधिकारी मिलकर निश्चित योजनाएं तैयार करें ताकि राज्य में उपलब्ध जड़ी-बूटी, सगंध एवं औषधीय पौधों, बेमौसमी सब्जियाँ एवं फलों आदि सम्पदाओं का भरपूर उपयोग कर स्थानीय जनता लाभान्वित हो सके एवं उत्तराखंड राज्य एक आदर्श राज्य बन सके। उन्होने **भूतपूर्व सैनिक, युवाओं एवं महिलाओं** की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बैंकों को विभिन्न सुलभ योजनाएं तैयार करने का आह्वान किया। उन्होने शाखा विस्तार पर जोर देते हुए कहा कि राज्य का पैसा बाहर ना जाए बल्कि बाहर का पैसा राज्य में लाने का भरसक प्रत्यन किये जाने चाहिएं।

उन्होने शुभ कामनाओं और धन्यवाद देते हुए अपना संबोधन समाप्त किया।

श्री एन.एस. नपलच्याल, अपर मुख्य सचिव का संबोधन -

अपर मुख्य सचिव ने अपने संबोधन में कहा कि **मुख्यमंत्री जी के निर्देशों** के उपरांत उनके पास कुछ कहने को नहीं रहा जाता लेकिन **ऋण-जमा अनुपात** को लेकर जो मुख्यमंत्री जी ने अपनी चिंता व्यक्त की है उस पर सभी को गम्भीरता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होने आशा व्यक्त की कि **ऋण-जमा अनुपात** में वृद्धि करने हेतु राज्य के प्रत्येक विभाग की ऋण योजनाओं को यदि समुचित रुप से लागू किया जाए तो **वार्षिक ऋण योजना** का लक्ष्य शत प्रतिशत प्राप्त किया जा सकता है। इस संदर्भ में उन्होने अग्रणी जिला प्रबंधकों तथा जिला शासन अधिकारियों को संगठित रुप में कार्यवाही करने को कहा। उन्होने राज्य की प्रगति हेतु **सामूहिक कार्य प्रणाली** (Cluster approach) पर विशेष ध्यान देने को कहा। साथ ही उन्होने दूरस्थ क्षेत्रों में

बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाने एवं शाखा विस्तार पर बल दिया। उन्होने सदन को निर्देशित किया कि आगामी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति बैठक में इस बैठक में लिए गए निर्णयों की सर्वप्रथम समीक्षा की जाएगी।

अंत में उन्होने इस बैठक को अत्यंत उपयोगी तथा मार्गदर्शी बताते हुए समस्त प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए अपने संबोधन को विराम दिया।

निदेशक, **के.वी.आई.सी** ने सदन को अवगत कराया कि **आर.ई.जी.पी.** (REGP) **योजना** अब समाप्त हो चुकी है। वित्तीय वर्ष 2005-06-07-08 तक की 244 इकाइयों के लिए अनुदान राशि (मार्जिन मनी) भारत सरकार से विलम्ब से प्राप्त हुई है तथा सभी बैंक इस योजना के अंतर्गत देय अनुदान राशि (मार्जिन मनी क्लेम) की मांग कर रहे हैं। इस योजना के नियमानुसार यदि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा संकल्प पारित किया जाए तो के.वी.आई.सी. तथा बैंकों के संयुक्त निरीक्षण के पश्चात यह अनुदान राशि योग्य दावेदारों हेतु बैंकों को आवंटित की जा सकती है। अतः उन्होने सदन से अनुरोध किया कि इस बैठक में यह संकल्प पारित किया जाए। इस संदर्भ में के.वी.आई.सी. ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को एक पत्र संख्या SOD/PMEGP/REGP/Claim/2009-2010/1746 दिनांक 26 जून, 2009 के द्वारा भी सूचित किया है। इस विषय पर विचार-विमर्श के बाद यह संकल्प पारित किया गया तथा आर.ई.जी.पी.योजना के नियमानुसार के.वी.आई.सी. को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया।

सभा के अंत में उप महाप्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक द्वारा सभी बैंक अधिकारियों को आगामी बैठक हेतु 30 जून, 2009 तक के सही एवं पूर्ण आँकड़ों के विवरण दिनांक 31 जुलाई, 2009 तक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, को भेजने हेतु कहा गया तथा उपस्थित विशिष्ठ अतिथियों, प्रतिभागियों, प्रेस तथा मीडिया के प्रतिनिधियों द्वारा बैठक को सजीव एवं सफल बनाने हेतु धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया गया।